

मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या: 27/2020

दिनांक: 17.03.2020

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियम/अनुदेश के अनुसरण में श्री धनराज सेन, कनिष्ठ लिपिक, ग्रुप-सी, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संभाग-एच, कोटा के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 07.01.2020 को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 15.04.2020 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।।

हस्ता

(आलोक शर्मा)

संयुक्त आयुक्त (सी.सी.यु.)

फा.सं.: 11-25(01)सीसीयू/जेजेड/2019/ 1911

दिनांक: 17.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. आयुक्त, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा. सं. 11-03(01)स्था./उदय/2018/701 दिनांक 29.01.2020 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री धनराज सेन, कनिष्ठ लिपिक ग्रुप-सी, को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें की उनके विरुद्ध कोई सरकारी/विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, अग्रिम, ऋण अथवा विभागीय हथियार इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री धनराज सेन, कनिष्ठ लिपिक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. आयुक्त, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर/अलवर/जोधपुर/अंकेक्षण, जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क, जोधपुर (मु.जयपुर)।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
5. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी प्रति- श्री धनराज सेन, कनिष्ठ लिपिक, ग्रुप-सी, सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संभाग-एच, कोटा।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/संबंधित एसोसियेशन/सूचना पट्ट।

नि.
18/3/20

आलोक शर्मा
(आलोक शर्मा) 17/03/2020